प्रेस विज्ञप्ति

29.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत 28.09.2025 और 29.09.2025 को गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और राजकोट में मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और बिग डैडी कैसीनो, गोवा से संबंधित 15 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी अभियान के दौरान, लगभग 2.25 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा, 14,000 अमेरिकी डॉलर और लगभग 8.50 लाख रुपये के बराबर अन्य विदेशी मुद्रा बरामद और जब्त की गई।

ईडी की जाँच से पता चला कि ग्राहकों को विदेशी मुद्रा के बदले पोकर चिप्स दिए जा रहे थे और ग्राहकों की ज़रूरतों के आधार पर जीत की राशि विदेशी मुद्रा में वितरित की जा रही थी। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले कैसीनो के कर्मचारियों द्वारा कई ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफॉर्म, जैसे रॉलेक्स 777.सीओ, आईकसीनो247.सीओ, प्ले247.कॉम, विन डैडी, पोकर डैडी आदि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा था।

यह भी पता चला है कि पोकर खिलाड़ियों के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का इस्तेमाल वित्तीय लेन-देन के लिए किया जा रहा था। दुबई और दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर यूएसडीटी हस्तांतरण की सुविधा के लिए क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से अंगडिया सेवाओं के इस्तेमाल का भी पता चला है। इसके अलावा, कई ऐसे खच्चर खातों की भी पहचान की गई है जिनका इस्तेमाल जुए में जीती गई राशि जमा करने और निकालने के लिए किया जा रहा था, जिसे बाद में विदेश में विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया।

इसके अलावा, कार्रवाई के दौरान 90 लाख रुपये से अधिक मूल्य की यूएसडीटी सहित विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी बरामद की गईं और उन्हें फ्रीज कर दिया गया। आपराधिक दस्तावेज़ और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं, जिनसे फेमा प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ सीमा पार हवाला/क्रिप्टो लेनदेन से संबंध स्थापित होते हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।